उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-42/2015-एस0ई0-4-2898/दस-2015-ई0एम0-24/04
लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण" के अन्तर्गत प्रावधानित (आय-व्ययक) की धनराशि रू0 21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015, वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-37/2015-एस0ई0-4-1252/दस-2015-ई0एम0-24/04, दिनांक 14-05-2015 के अनुक्रम में शेष धनराशि रू0 10.50 लाख (रूपये पचास लाख हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रूपये हजार में)

लेखा शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-वित्त विभाग के अनुभागों का कम्प्यूटरीकरण	वित्तीय वर्ष 2015-2016 में मानक मदवार प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु प्रथम किशत के रूप में (1/2 भाग) मानक मदवार व्यय की जाने वाली धनराशि	वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु शेष धनराशि मानक मदवार व्यय की जाने वाली धनराशि
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	50	50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1100	550	550
25-लघु निर्माण कार्य	---	---	---
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	350	175	175
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	550	275	275
योग-	**2100**	**1050**	**1050**

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत उपर्युक्त लेखा शीर्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

बी0के0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-42/2015-एस0ई0-4-2898(1)/दस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियों में।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in